

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.  
राजस्व वाद पत्र संख्या :-2020 / 105

वादी वकील दावा नोटप्रेस करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहते हैं एवं प्रकरण को नोटप्रेस किया जाने के आदेश का निवेदन किया है। अतः प्रा0पत्र नोटप्रेस न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर नोटप्रेस के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल-दफ़तर हो।